कार्यालय प्रभारी अधिकारी ग्रंथालय अनुभाग जिला न्यायालय शाजापुर मध्यप्रदेश

// ज्ञापन //

कमांक 129./ग्रंथालय/स्टेशनरी/2023 शाजापुर दिनांक 10 मई 2023

प्रति

श्रीमान रजिस्ट्रार आई टी
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश
जबलपुर मध्यप्रदेश

विषय जिला न्यायालय शाजापुर के लिए स्टेशनरी सामग्री क्रय करने हेतु निविदा उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि जिला न्यायालय शाजापुर में उपयोग हेतु वित्त वर्ष 2023–24 के लिए मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम अनुसार आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाना है। इस हेतु निविदा प्रारूप मय शर्त तैयार की गई है, जिसे जिला न्यायालय शाजापुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है। इसी अनुक्रम में प्रसार हेतु माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट mphc.gov.in पर भी अपलोड करने हेतु आपकी ओर सलंग्न प्रेषित है।

संलग्न :– निविदा

प्रभारी अधिकारी
ग्रंथालय अनुभाग
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाजापुर (म.प्र.)

E-MAILED
DATE 10-05-2023

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर (म.प्र.)

फोन 07364—292073 फैक्स 07364—227909 ई—मेल dcourtshj-mp@nic.in

क्रमांक 118 / 2023 शाजापुर, दिनांक 01.05.2023

//निविदा आमंत्रण सूचना //

जिला एवं सत्र न्यायालय, शाजापुर में वित्तीय वर्ष 2023—24 हेतु लेखन सामग्री के क्रय बाबत सीलबंद निविदाये आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/ निर्माता अपनी निविदाये सीलबंद कर पूर्ण जारी सहित जिला एवं सत्र न्यायालय शाजापुर मेंदिनांक 16.05.2023 को दोपहर 02.00 बजे तक आवक जावक शाखा में जमा कर सकते है । प्राप्त निविदायें दिनांक 16.05.2023 को दोपहर 05.00 निविदा समिति के समक्ष निविदाकर्ता/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी । निविदाये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर के नाम से प्रस्तुत की जावगी । निविदा की शर्ते एवं सामग्री की सम्पूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in उपलब्ध है जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्ते डाउनलोड की जा सकती है एवं जिला न्यायालय शाजापुर की ई—मेल आईडी dcortshj-mp@nic.in है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाजापुर (म0प्र0)

:: निविदा शर्ते ::

1— सीलबंद निविदायें जिला न्यायाधीश, शाजापुर के नाम से दिनांक 16.05.2023 को दोपहर 02.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए । उक्त निविदा दिनांक 16.05.2023 को सायं 05.00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष जिला न्यायालय में गठित निविदा समिति द्वारा खोली जाएगी ।

2— जिस सामग्री के संबंध में निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम निविदा फार्म पर स्पष्ट लिखा जावे।

3— नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा ।

4— आदेश अनुसार सामग्री न्यायालय तक पहुंचाए जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा ।

5— प्रधान जिला न्यायाधीश, शाजापुर को यह अधिकार होगा कि निविदा खोलते समय यदि किसी सामग्री कि दर अन्य निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों से अपेक्षाकृत कम है तो ऐसी स्थिति में दरों के आधार पर एक से अधिक निविदाकर्ताओं से पृथक पृथक अनुबंध किया जा सकता है एवं बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते है ।

6— निविदा में प्रत्येक सामग्री किस कंपनी द्वारा निर्मित है, सामग्री का साईज नाप, तौल आदि निविदा में अंकित करना अनिवार्य है ।

7— निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदा कर्ता के हस्ताक्षर व सील होना आवयक है ।

8— निविदाकार द्वारा दी गई सूची की सामग्री आवश्यतानुसार स्वीकृत एवं मात्रा पर प्रदाय करने हेतु निर्धारित तिथि तक बाध्य होगा ।

9— प्रदाय की गई कोई भी सामग्री चाही गई कंपनी की न होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सामग्री निविदाकार को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा कंपनी के अनुसार सामग्री अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी ।

10— निविदा में प्रत्येक सामग्री का स्पष्ट विवरण होना चाहिऐ, एवं प्रत्येक सामग्री का सेम्पल होना चाहिए, जो सेम्पल प्रस्तुत नही करेगा, उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

11— निविदा से संबंधित शर्ते एवं प्रदाय किए जाने वाले सामान की सूची उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाईट **www.mphc.gov.in** की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है ।

12— निविदा आवेदन पत्र मय शर्तो एवं सामग्री सूची तथा राशि 250/—डीडी/आनलाईन के माध्यम से शासन का हैड 0070—01—800—0000 में जमा कर चालान की मूलप्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर के नाम से प्रस्तुत की जायेगी तथा राशि 250/— किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी ।

13— सामग्री का आदेश प्राप्त होने पर सामग्री निर्धारित अवधि में प्रदाय करनी होगी ।

14— निविदा की दरें अनुबंध दिनांक से मार्च 2024 तक मान्य होगी एवं अनुबंध असवयी समझौते पर और विक्रेता के संतोषजनक प्रदर्शन की अधीन अनुमोदित दरों पर आगामी एक और वर्ष के लिए बढाया जा सकता है ।

15— निविदाकार, विणिज्यकर/जीएसटी पंजीयन होने का जीवित प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न करें तथा साथ ही फर्म ने आयकर अदा किया है उस पर काई कर बकाया नहीं है स्पष्ट करें ।

16— लेखन सामग्री की सूची के अनुसार जिन सामग्रियों के निर्माता कंपनीयों के नाम अंकित है, केवल उन्ही कंपरियों के सामग्री दर देवे । अन्यथा मान्य नहीं होगी ।

17— निविदाकारों को सुरक्षा निधि के रूप में 60000/—(अक्षरी रूपये साठ हजार मात्र) की ईएमडी /एफडीआर के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी, जो कि 31 मार्च 2024 तक वैध हो। एफडीआर के अतिरिक्त कोई भी ईएमडी जमा करने पर निविदाकारों की निविदा निरस्त की जा सकती है ।

18— सभी लेखन सामगी के ब्रान्डेड/नॉनब्रान्डेड के नमूने निविदा खोली जाते समय निविदा समिति द्वारा मांगे जानेपर प्रस्तुत करना होगा ।

19— किसी भी शर्त के भंग होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर दी जाएगी ।

20— शासन द्वारा लागू जीएसटी की दरें अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा ।

21— सम्पूर्ण सामग्री की दरे समस्त करों सहित दी जाऐं ।

22— वित्तीय/तकनीकी लिफाफे—निविदाकर्ता पृथक—पृथक वित्तीय, तकनीकी एवं इएमडी की राशिवाले लिफाफे तैयारकर उनपर वित्तीय/तकनीकी विड, ईएमडी लेख करते हुए उक्त तीनों लिफाफों को चौथे लिफाफे में मोहरबंदकर निविदा प्रस्तुत की जाएगी ।

23— निविदा खोली जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी वीड एवं ईएमडी की राशि के लिफाफे खोले जाऐंगे, जिस निविदाकर्ता द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी वीड से संबंधित चाहे गये आवश्यक

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जावेगे उन निविदाकर्ताओं की निविदा पर वित्तीय वीड के संबंध में काई विचार नही किया जऐगा । तकनीकी वीड में सफल निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय पेड के लिफाफे खोले जाएगें ।

24— निविदा द्वारा सामग्री की जो भी दरें दी गई है वह एक वर्ष के लिए यथावत रहेंगी निविदाकारों द्वारा किसी भी वस्तु की दर बढाने हेतु किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा ।

1/5/2023
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाजापुर(म0प्र0)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पता :—

परिशिष्ट–ए

लेखन सामग्री सूची

क्र.	सामग्री	कंपनी का नाम	साईज	जी.एस.टी. प्रतिशत	राशि जी.एस.टी. सहित
01	कंप्यूटर स्टेशनरी (1000 पृष्ठ वाली)	Century	10x12x1, (60 GSM)		
02	कंप्यूटर स्टेशनरी (1000 पृष्ठ वाली)	Century	10x12x2, (60 GSM)		
03	फोटो कॉपी पैपर	JK	A-4 (70 GSM)		
04	फोटो कॉपी पैपर	JK	Legal, (70 GSM)		
05	जज्मेंट पैपर	JK	A-4 (90 GSM)		
06	आलपिन	Delux/GEM	Delux		
07	स्टेपलर पिन बड़ी	Kangaru	24 No.		
08	स्टेपलर पिन छोटी	Kangaru	10 No.		
09	फाईल लेस	-	9x24		
10	सफेद लिफाफे	Onient	11x5		
11	सफेद लिफाफे	Onient	9x4		
12	पेड इंक	Camel	100 ML		
13	स्टाम्प पैड छोटा	Camlin/ Supreme	110x70mm		
14	स्टाम्प पैड बड़ा	Camlin/ Supreme	97x160mm		
15	सेलो टेप	Wonder	1 inch		
16	सेलो टेप	Wonder	2 inch		
17	सेलो टेप खाकी	Wonder	1 inch		
18	सेलो टेप	Wonder	2 inch		
19	बस्ता क्लाथ (लट्ठा)	-	42x42		
20	पिन कुशन	Premier	-		
21	चपड़ी	Vikas/ National	400 Gram		
22	फाईल पैड लेस युक्त	-	10x15		
23	स्टेपलर छोटा	Kangaru	10 No.		
24	मार्कर पैन	Reynold/Roeito	-		

25	पैन स्टेण्ड (मय पैन)	-	Standard Size		
26	रजिस्टर	-	2 Dasta		
27	रजिस्टर		1 Dasta		
28	फाईल फोल्डर छोटे एवं बड़े	Standard Size	Legel Or A-4 Size		
29	डाक पंजी	मय प्रिंटिंग	$8^{1/4}$x$11^{1/2}$ (100 Page 70 GSM)		
30	गिरफ्तारी वारंट	60 GSM मय प्रिंटिंग	$8^{3/4}$x$8^{1/4}$ प्रति हजार		
31	आदेश पत्रिका	मय प्रिंटिंग	A-4 प्रति हजार		
32	फाईन–ए रजिस्टर	मय प्रिंटिंग	$11^{1/2}$ x 17cm		
33	फाईन–बी रजिस्टर	मय प्रिंटिंग	-		

टीप :–

1– उपरोक्त तालिका में दर्शित क्रय की जाने वाली लेखन सामग्री मे आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है ।

2– उपरोक्त तालिका में जिन लेखन सामग्री की कंपनी का नाम दर्शित है, उन्ही कंपनी की सामग्री की दर निविदाकर्ता प्रस्तुत करें एवं जिन लेखन सामग्री की कंपनी का नाम दर्शित नही है, उनमें निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की कंपनीका नाम दर्शित किया जावे ।

1/5/2023

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाजापुर(म0प्र0)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता :–

परिशिष्ट–बी

<u>तकनीकी विड में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज</u>

क्रं.	दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
01	वित्तीय, तकनीकी विड एवं ई.एम.डी. के अलग–अलग लिफाफे	
02	ई.एम.डी. की राशि	
03	पैन नंबर	
04	आयकर विवरण	
05	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन	
06	नकद जमा की रसीद/डी.डी.राशि 250/–	